न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
बाथरूम, मालिक(अमित सिंह)

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,
केस का प्रकार–

केस संख्या– **427/2020–21**,
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त बाथरूम के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक– 201/म0नि0 एवं दिनांक–10.06.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 15/2020, में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण एवं कमरा के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–सराही वार्ड नं0 05, थाना–सदर, घटना की तिथि–05.01.2020 के साथ वर्णित है कि– "गुप्त सूचना के आधार पर अपने अधीनस्थ उत्पाद कर्मी के साथ प्रतिनियुक्त सैफ व गृह रक्षको के साथ उपयुक्त अंकित स्थान पर उपस्थित गवाहो के समक्ष लगभग शाम में छः बजे विधिवत छापेमारी की गई। छापेमारी क्रम में कंडिका 3 से 6 तक अंकित अ0 विदेशी शराब अभियुक्त के बाथरूम के पास से 16.380 ली० विदेशी शराब बरामद हुआ। घर में उपस्थित व्यक्ति ने अपने कब्जे का बाउंड्री एवं परिसर व बाथरूम बताया। तत्पश्चात् बि0म0नि0 व उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(ए) के अन्तर्गत अवैध उत्पाद वस्तु को जप्त कर जप्त नमुना प्रदर्श तैयार किया गया। जप्ती सूची व व्यक्ति को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी ज्ञाप तैयार किया गया, आवश्यक सभी कार्रवाई उपस्थित गवाहो के समक्ष जमातलाशी उपरांत हुई घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई सम्पन्न की गई। जप्ती सूची की एक प्रति अभियुक्त को दी गई।" उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण करने का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त बाथरूम के अधिहरण के बिन्दु पर प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। बाथरूम मालिक अमित सिंह, पिता– स्व0 मदन सिंह, साकिन– सराही वार्ड नं०– 05, थाना व जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।	

बाथरूम मालिक अमित सिंह का कहना है कि वे बाथरूम मालिक नहीं है। उपरोक्त मकान में उनके अलावा अन्य तीन–चार आदमी भी रहते है। जिस तरह प्रतिवादी उस मकान का भाड़ा देता है उसी तरह अन्य किरायेदार भी भाड़ा देता है। बाथरूम का इस्तेमाल सभी किरायेदार सार्वजनिक रूप से करते हैं। बाथरूम घर के बाहर में है। बाथरूम के पास किसने शराब रख दिया इसकी जानकारी न तो विपक्षी को है और न ही मकान मालिक को है। उत्पाद अधिनियम के तहत वही मकान का अधिहरण किया जा सकता है जिस मकान के मालिक अवैधरूप से मद्य निषेध उत्पाद का कारोबार करते है।

प्रतिवादी के ओर से मुख्यतः इसी के साथ अपने दाखिल कारण–पृच्छा को स्वीकार कर वाद की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त बाथरूम का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त बाथरूम को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि प्राप्त प्रस्ताव में जप्त परिसर के संबंध में स्पष्ट विवरणी नहीं दी गयी। अतः उक्त अधिहरण प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः उक्त जप्त परिसर को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखांपित एवं शुद्धिकृत

Kal
26/11/2020
समाहर्त्ता
सहरसा।

Kal
26/11/2020
समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक ...116....../न्याया०, सहरसा, दिनांक ...28.01.21...

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

28.01.21
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

28/01/21